प्रस्तावना

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों और/अथवा राजस्व क्षेत्रान्तर्गत वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन और खान एवं भूतत्व विभागों के सहित झारखण्ड सरकार के विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलों में वैसे मामले, जो 2014-15 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए थे, परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, वर्ष 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा की गई है।